6 5/24 पत्रावली पेश वकील प्रार्थी हाजिर वकील
प्रार्थी ने निवेदन किया उक्त पक्ष कारों के
समझौता लगभग हो चुका है परन्तु कोई
उचित नहीं अतः पूर्व वाद को नम्बर पुनर्जीवित
करके सुनवाई की जावे।
मैंने पत्रावली के उपलब्ध प्रार्थनापत्र/
दस्तावेजों का अवलोकन किया व वकील वादी
प्रार्थी की बहस श्रवण किया व
स्थगन प्रार्थना के अतिरिक्त आदेश 9 नियम 9
का अवलोकन किया। उक्त आदेश 9
नियम 9 के यह प्रावधान है कि
यहाँ वाद नियम 8 के खारिज हो

प्रार्थी तब उक्त खारिजी को अपास्त
करने के लिए यदि वादी न्यायालय का
समाधान कर देगा कि उसके वाद की
सुनवाई के लिए पुकारे जाने पर उस
समय उसकी अनुपस्थिति के लिए
पर्याप्त हेतु था तो न्यायालय खर्चे
या अन्य बातों के ऐसे शर्तों पर
जो वो ठीक समझे खारिजी को
अपास्त करने का आदेश करेगा।
मैंने पत्रावली के उपलब्ध दस्तावेजों का
अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि पूर्व
वाद 11/5/16 को न्यायालय के दर्ज
रजिस्टर करवाया था परन्तु वाद खारिज
होने की तारीख 20/7/17 तक वादी ने
प्रतिवादीगण पर तामील भी नहीं करवाई
व सिर्फ बहानाबाजी कि वादी अधिवक्ता
उपरोक्त उपस्थित नहीं हो सका मानने
योग्य नहीं है क्योंकि वाद दायरी के
लगभग 1 वर्ष तक भी प्रतिवादीगण पर
तामील नहीं करवाई गई अतः उपरोक्त
विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा कोई
संतोषजनक कारण न्यायालय के
समक्ष अपनी अनुपस्थिति हेतु नहीं

पेश किया गया और नही पूर्व वाद के
एक वर्ष से ज्यादा समय तक तामिल न
पेश कर न्यायिक प्रकिया का अनुसरण नही
किया गया अतः न्यायालय का समाधान नही
होने पर प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो।

[signature]